तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016
दूरभाष/Tel: 011-26521898
E-mail: kvs.estt.1@gmail.com
Website: www.kvsangathan.nic.in

फा. 11044/3(1)/पीआर(वीपी)-2025-केविसं (स्था.-I)/4560-4617 दिनांक: 25/07/2025

ज्ञापन

वर्ष 2024 एवं 2025 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की सिफ़ारिश पर सक्षम अधिकारी ने निम्नलिखित स्नातकोत्तर शिक्षकों को आरक्षित सूची (Reserve Panel) से केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवल-10 (₹ 56,100-1,77,500) में उप-प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया जाना अनुमोदित किया है। उन्हें निम्न विवरण अनुसार उप-प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थापित किया जाता है:-

Sl. No.	Name of PGT	Cat.	ZIET/ KV where presently posted	Region	KV where posted on promotion as VP	Region	Year
1	MS. PADMAJA M.G.	UR	PM SHREE KV PATTOM SHIFT-II	ERNAKULAM	PM SHRI KV SAP THIRUVANANTHAPURAM	ERNAKULAM	2024
2	MS. ARCHANA TIWARI	UR	SECTOR-08 RK PURAM (Shift-I)NEW DELHI	DELHI	PM SHRI KV NMR JNU	DELHI	2024
3	MR. KAILASH GIRI	UR (OBC)	PM SHRI KV BEG PUNE	MUMBAI	PM SHRI KV RHE PUNE	MUMBAI	2024
4	MS. ANITHA RAMESH	UR	KV PONDA	MUMBAI	PM SHRI KV NO.1, TIRUCHIRAPALLI	CHENNAI	2025
5	MS. GLORY GNANASELVI	UR	PM SHRI KV NO.2 JALAHALLI EAST	BENGALURU	DRDO BENGALURU (w.e.f. 01.08.2025)	BENGALURU	2025
6	MR. GOPALAN THEKKUMBADAN	UR	PM SHRI KV PAYYANUR	ERNAKULAM	PM SHRI KV EZHIMALA (as I/C Principal)	ERNAKULAM	2025
7	MS. GUNJAN GAUR	UR	AFS MAKARPURA BARODA	AHEMDABAD	PM SHRI KV RAILWAY GANDHIDHAM (as I/C Principal)	AHMEDABAD	2025
8	MR. DEVENDRA KUMAR MISHRA	UR	KV PDDU NAGAR	VARANASHI	NEW CANTT, PRAYAGRAJ (SHIFT-II)	VARANASI	2025
9	MR. S. MURUGAN	UR	PM SHRI KV ISLAND GROUNDS CHENNAI	CHENNAI	PM SHRI KV MINAMBAKKAM	CHENNAI	2025
10	MS. SHINY THOMAS	UR	PM SHRI KV NO.2 NAVAL BASE KOCHI	ERNAKULAM	PM SHRI KV THRISSUR	ERNAKULAM	2025
11	MR. S AYYAPPAN	UR	PM SHRI KV AFS THANJAVUR	CHENNAI	PM SHRI KV NO. 2 TRICHI	CHENNAI	2025
12	MR. ASHWANI KUMAR	SC	FRI DEHRADUN	DEHRADUN	PM SHRI KV KASHIPUR	DEHRADUN	2024
13	MR. VEERABHADRA NAIK S	ST	PM SHRI KV DAVANGERE	BENGALURU	HASSAN	BENGALURU	2024

यदि उन्हें यह पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति केवल ई-मेल द्वारा kvs.estt.1@gmail.com पर भेजें और दिनांक 16.08.2025 तक तैनाती के वर्णित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती नियमावली के अनुसार उप-प्राचार्य के पद पर परीवीक्षा अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की होगी।

उप-प्राचार्य के पद पर उपरोक्त पे- मेट्रिक्स के पे लेवल में उनका वेतन निर्धारण एफ़.आर. 22(I)(a)(1) के प्रावधानों एवं केविसं के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि में करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के 01 माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

यदि वे निर्धारित तिथि तक अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते/ करतीं हैं और/ या स्वीकृति देने के बाद निर्धारित तिथि तक नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असफल होते/ होती हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और उनके नियुक्ति प्रस्ताव को वापस ले लिए जाएगा।

पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर 01 वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वे उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुक़ाबले उप-प्राचार्य के पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगे/ देंगी। यदि उनके द्वारा पदोन्नति प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

25.07.25

(अमर पाल सिंह बराड़)
सहायक आयुक्त (स्था-1)

संबन्धित स्नातकोत्तर शिक्षक

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
2. निजी सहायक, अपर आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अपर आयुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, संबन्धित केंद्रीय विद्यालय।
5. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, संबन्धित संभाग-सूचनार्थ।
6. प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को इस आदेश के साथ कि वे संबन्धित स्नातकोत्तर शिक्षक के कार्यमुक्ति/ पदभार ग्रहण करने से पूर्व कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही उनकी कार्यमुक्ति/ पदभार की तिथि आवश्यक कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को केवल ई-मेल द्वारा kvs.estt.1@gmail.com पर सूचित करें। यदि स्नातकोत्तर शिक्षक का स्थानांतरण किसी अन्य केन्द्रीय विद्यालय में हो गया है तो पदोन्नति ज्ञापन की प्रति उनके वर्तमान केन्द्रीय विद्यालय में प्रेषित करें।
7. सहायक आयुक्त (RPS), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
8. सहायक आयुक्त (आईटी सेल), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस ज्ञापन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) की वैबसाइट पर प्रकाशित करें।
9. गार्ड फ़ाइल।